# न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

**पीठासीन अधिकारी** :– आर. के.जायसवाल, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर
**मुकदमा नम्बर** :– 40/2019 आरसीएमएस नम्बर 2018/00064
उनवानी प्रकरण :–

1. कमला देवी वेवा लज्जाराम आयु करीब 50 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी कटेलपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर——————————————प्रार्थी।

बनाम

1. कम्पोटर ऊर्फ कपूर चन्द पुत्र भोला जाति ब्राहमण निवासी कटैलपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर (फौत)
2. आनन्द पुत्र स्व. कम्पोटर ऊर्फ कपूरचन्द जाति ब्राहमण निवासी कटेलपुरा
3. छुट्टन ऊर्फ सत्यप्रकाश पुत्र स्व. कम्पोटर ऊर्फ कपूरचन्द जाति ब्राहमण निवासी कटेलपुरा तहसील बसेडी
4. लोकेन्द्र पुत्र स्व. कम्पोटर ऊर्फ कपूरचन्द जाति ब्राहमण निवासी कटेलपुरा
5. आशा पुत्री कम्पोटर पत्नी विशम्भर जाति ब्राहमण निवासी रैवियापुरा
6. मनीषा पुत्री स्व. कम्पोटर पत्नी रिकूं जाति ब्राहमण निवासी रैवियापुरा
7. रश्मी पुत्री स्व. कम्पोटर पत्नी पवन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम रैवियापुरा
8. रेखा पुत्री लज्जाराम पत्नी बंटी जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बदरिका
9. गुडड़ी पुत्री लज्जाराम आयु करीब 12 वर्ष नावालिग व सरपरस्ती माँ कमला देवी वेवा लज्जाराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कटेलपुरा तहसील बसेडी
10. सरोज देवी पत्नी कम्पोटर ऊर्फ कपूरचन्द जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कटेलपुरा
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, राजाखेडा धौलपुर—— अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से :– श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव अभिभाषक।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा.10 की ओर से :– श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा अभिभाषक।
3. अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक 12.2.2020

## निर्णय

प्रार्थीया द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि उपरोक्त उनवानी वाद न्यायालय उपखण्डाधिकारी बाडी में विचाराधीन है जिसमें विवादित आराजीयात ग्राम दोपुरा व ग्राम कटेलपुरा तहसील बसेडी

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

है। उक्त वाद का मुकदमा नम्बर 36/2011 है। उक्त प्रकरण पूर्व में न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी में दायर किया गया क्योंकि उक्त मुकदमा में जो आराजीयात विवाग्रस्त थी उसके बावत सुनने व समाअत करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी को रहा। प्रार्थीया को न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं थी अतः प्रार्थीया ने न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी से उक्त उनवानी पत्रावली को स्थानांन्तरित करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 18.3.2011 को स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी बाडी में स्थानान्तरित कर दिया गया। चूँकि तत्कालीन उपखण्डाधिकारी बसेडी का स्थानान्तरण हो गया है । प्रार्थीया विधवा महिला है तथा वृद्ध होती जा रही है। उसे न्यायालय उपखण्डाधिकारी बाडी में तारीख पेशी पर हाजिर आने में परेशानी का सामना करा पडता है तथा पैदल करीब 2 किलोमीटर चलकर न्यायालय में पहुँचना पडता है। किराया भाडा भी अधिक खर्च होता है तथा समय भी अधिक खराब होता है। प्रार्थीया बसेडी क्षेत्र की मूल निवासी है तथा बसेडी में न्यायालय प्रार्थीया के ग्राम से महज 4 किलोमीटर दूर है तथा न्यायालय एसडीओ बसेडी को प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त भी है। उक्त परेशनियों के कारण उपरोक्त उनवानी मुकदमें को न्यायालय एसडीओ बाडी से न्यायालय एसडीओ बसेडी में स्थानान्तरित कराना चाहती है। जिससे अनावश्यक खर्च व परेशानियों से बचा जा सके। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुकदमा उनवानी कमला देवी बनाम कम्पोटर वगैरा मुकदमा नम्बर 36/2011 को न्यायालय उपखण्डाधिकारी बाडी से न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी में स्थानान्तरित करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उन्हें नोटिस के सम्बन्ध में कोई उज्रदारी हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी प्रस्तुत करें ।

अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 की ओर से श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा अभिभाषक ने वकालतनामा प्रस्तुत कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई । अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 के अभिभाषक ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में यह कथन गलत है कि प्रार्थीया को तत्कालीन उपखण्डाधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं थी इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था बल्कि प्रार्थीया का कोई प्रथम दृष्टया केश नहीं है इसलिए ट्रान्सफर का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। चरण संख्या 4 प्रार्थना पत्र सर्वथा गलत कथनों पर आधारित है प्रकरण संख्या 30/2005 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक ) संख्या 1 धौलपुर में सम्बन्धित बसीयत का निर्णय दिनांक 28.11.2007 को हो चुका है । प्रार्थीया ने प्रकरण में साक्ष्य नहीं कराकर प्रकरण के निस्तारण में देरी करना चाहती है किसी पक्षकार की केवल सुविधा के बिन्दु पर लगातार प्रकरण का ट्रान्सफर नहीं किया जाना चाहिए। प्रार्थीया ने पूर्व में भी प्रकरण को स्थानान्तरित कराया था अब मुकदमें में साक्ष्य का वक्त आने पर पुनः प्रकरण को गलत कथनों के आधार पर अन्तरित कराना चाहती है जबकि विपक्षीगण ने बाडी में अभिभाषक नियुक्त किये हैं अप्रार्थीगण गरीब आदमी है रोजना बकील बदल कर उनको फीस दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज०)

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थीया के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त उनवानी वाद न्यायालय उपखण्डाधिकारी बाडी में विचाराधीन है जिसमें विवादित आराजीयात ग्राम दोपुरा व ग्राम कटेलपुरा तहसील बसेडी है। प्रार्थीया को न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं थी इसलिए प्रार्थीया ने उक्त प्रकरण को एस.डी. ओ. बसेडी से न्यायालय उपखण्डाधिकारी बाडी में स्थानान्तरित करा लिया । चूँकि तत्कालीन उपखण्डाधिकारी बसेडी का स्थानान्तरण हो गया है । प्रार्थीया विधवा महिला है तथा वृद्ध होती जा रही है। उसे न्यायालय उपखण्डाधिकारी बाडी में तारीख पेशी पर हाजिर आने में परेशानी का सामना करना पडता है किराया भाडा भी अधिक खर्च होता है तथा समय भी अधिक खराब होता है। प्रार्थीया बसेडी क्षेत्र की मूल निवासी है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुकदमा उनवानी कमला देवी बनाम कम्पोटर वगैरा मुकदमा नम्बर 36/2011 को न्यायालय उपखण्डाधिकारी बाडी से न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी में स्थानान्तरित करें।

अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का यह कहना गलत है कि प्रार्थीया को तत्कालीन उपखण्डाधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं थी इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था बल्कि प्रार्थीया का कोई प्रथम दृष्टया केश नहीं है इसलिए ट्रान्सफर का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। चरण संख्या 4 प्रार्थना पत्र सर्वथा गलत कथनों पर आधारित है प्रकरण संख्या 30/2005 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक ) संख्या 1 धौलपुर में सम्बन्धित बसीयत का निर्णय दिनांक 28.11.2007 को हो चुका है । प्रार्थीया ने प्रकरण में साक्ष्य नहीं कराकर लम्बे समय तक लम्बित रखना चाहती है किसी पक्षकार की केवल सुविधा के बिन्दु पर लगातार प्रकरण का ट्रान्सफर नहीं किया जाना चाहिए। प्रार्थीया ने पूर्व में भी प्रकरण को स्थानान्तरित कराया था अब मुकदमें में साक्ष्य का वक्त आने पर पुनः प्रकरण को गलत कथनों के आधार पर अन्तरित कराना चाहती है जबकि अप्रार्थीगण ने बाडी में अभिभाषक नियुक्त किये हैं अप्रार्थीगण गरीब आदमी है रोजना बकील बदल कर उनको फीस दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की वहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थीया द्वारा पूर्व में भी प्रकरण को न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी से न्यायालय उपखण्डाधिकारी बाडी में कराये जाने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर दिनांक 18.3.2011 को प्रकरण न्यायालय वसेडी से न्यायालय बाडी में स्थानान्तरित किया गया। अब लगभग 9 वर्ष बाद प्रार्थीया ने पुनः प्रकरण को न्यायालय उपखण्डाधिकारी बाडी से न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी में कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीया ने अपने आपको विधवा एवं वृद्ध होना बताया है। साथ ही यह भी आधार लिया है कि उसे न्यायालय बाडी में तारीख पेशी पर हाजिर आने में परेशानी का सामना करना पडता है किराया भाडा भी अधिक खर्च होता है तथा समय भी अधिक खराब होता है। प्रार्थीया बसेडी

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

क्षेत्र की मूल निवासी है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में जो दलील दी गई है वह प्रकरण के स्थानान्तरण हेतु पर्याप्त नहीं है। प्रकरण काफी लम्बे अरसे से विचाराधीन है जो वर्तमान में साक्ष्य हेतु निर्धारित है प्रार्थीया प्रकरण को लम्बे समय पर विचाराधीन रखना चाहती है। किसी पक्षकार की केवल सुविधा के बिन्दु पर लगातार प्रकरण का ट्रान्सफर किया जाना उचित नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.2.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर.के. जोयसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)